# राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

**अपील संख्या – 1582/2012/झुंझुनूं**

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वार्ड–चतुर्थ, वृत झुंझुनू, मुख्यालय–चिडावा। .....अपीलार्थी

**बनाम**

मैसर्स नत्थुराम सैनी,
ग्राम–ढाणा, सिंघाना, झुंझुनू। .....प्रत्यर्थी

**एकलपीठ**
**श्री खेमराज, अध्यक्ष**

**उपस्थित : :**

श्री एन.के.बैद,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से
श्री विवेक सिंघल,
अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से

**निर्णय दिनांक : 05/06/2017**

## निर्णय

1. अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, बीकानेर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 68/ आरवैट/झुंझुनू/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 09.01.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–द्वितीय, वृत–झुंझुनूं (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2011 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 24(3), 55, 58, 64 तहत् आरोपित कर राशि रूपये 2,42,175/–, ब्याज राशि रूपये 27,350/– शास्ति राशि रूपये 1,935/–, कुल राशि रूपये 2,71,460/– को प्रतिप्रेषित किया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी को के.सी.सी. खेतडी नगर से कुल सकल भुगतान राशि रूपये 32,51,555/– का संविदा कार्य प्राप्त हुआ। जिस पर अवार्डर विभाग द्वारा 97,550/– टी.डी.एस. काटा गया। कुल सकल प्राप्ति राशि रूपये 32,51,555/– में से राशि रूपये 17,95,000/– को 12.5 प्रतिशत कर योग्य हिस्सा मानते हुए 2,24,375/– कर आरोपित किया एवं 4,45,000 को 4 प्रतिशत कर योग्य हिस्सा मानते हुए 17,800/– कर आरोपित किया तथा रूपये 10,21,455/– लेबर के पेटे छूट स्वीकार की गई। सशक्त अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी की अपील स्वीकार करते हुए प्रकरण सशक्त अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर दिया गया। अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी विभाग द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

लगातार.....2

4. अपीलार्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि संविदा कार्य में श्रम का भाग अधिक माना गया है जो उचित नहीं है एवं कहा कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध है एवं सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्को में यह कहा कि सभी कार्य मरम्मत की प्रवृति के है। मरम्मत कार्य को देखते हुए श्रम का भाग अधिक होना माना जाकर छूट स्वीकार करनी चाहिए क्योंकि मरम्मत के कार्य में श्रम अधिक लगता है तथा सामग्री कम लगती है। साथ ही सीमेंन्ट सप्लाई हिन्दुस्तान कॉपर लि. द्वारा की गई है, अतः श्रम का कार्य और बढ जाता है। आगे अपने कथन में उन्होंने अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज करने का निवेदन किया।

6. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड अवलोकन किया गया। उक्त कार्यो में मुख्य कार्य रिपेयरिंग से संबंधित है, जिसमें श्रम का भाग अधिक एवं सामग्री कम मात्रा में लगती है। अन्य उपव्ययों जैसे मशीन किराया, बिजली, पानी, ईंधन, संस्थागत खर्च आदि भाग माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय गेनन डंकर्ले कंपनी के केस (1993) 1 SSC 364 के अनुसरण में 15 प्रतिशत छूट स्वीकार कर अपीलीय अधिकारी ने कोई त्रुटि नहीं की है। प्रस्तुत अपील में कोई नया बिन्दु सामने नहीं आया है।

7. फलतः अपीलार्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत यह अपील अस्वीकार की जाती है तथा अपीलीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(खेमराज)
अध्यक्ष